बिहार में सुशासन : एक अध्ययन

संजय कुमार सुमन

सामान्यतः जब लोग अच्छे या बुरे प्रशासन की बात करते हैं तो उनका इशारा कार्यपालिका की ओर होता है जो प्रशासन के शेष दो अंगों के बारे में भूल जाते हैं। साथ ही, वे अन्य पक्षों को भी भूल जाते हैं जो प्रशासन के स्वरूप के निर्धारण में भागीदार होते हैंआम जनता खुद, मीडिया और इसकी तरह के अन्य। प्रशासन के अच्छे या बुरे स्वरूप के निर्धारण में सभी का हाथ होता है–कम या अधिक। बिना लोगों की भागीदारी बिना लोगों की आवाज और बिना लोगों के प्रतिनिधित्व के किसी भी कार्यक्रम का कार्यान्वयन महज यंत्रवत होगा। राजनीतिक लाभ उठाने और विरोध के नाम विरोध करते रहने से राष्ट्र का अहित होता है। रचनात्मक विरोध प्रजातंत्र की आत्मा, सुशासन का प्राण है। यह आवश्यक है कि विपक्ष कार्यपालिका पर जागरूक नजर और सतत् निगरानी रखे, लेकिन साथ यह भी जरूरी है कि ऐसा करने में उसकी नियत निरंतर रचनात्मक हो। न्यायिक समीक्षा के तहत पारित आदेशों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पूर्व विधायकों और सांसदों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उनका पूरी तरह अध्ययन, विचार विश्लेषण प्रत्येक दृष्टिकोण से कर लेंगे। सुशासन की स्थापना एवं संचालन–परिचालन में सरकार के विधायिका अंग का भी दायित्व बनता है, इस तथ्य को हमेशा ध्यान में रखकर कार्यवाही की जानी चाहिए। सुशासन के सामने मुख्य चुनौती सामाजिक विकास से जुड़ी हुई। 14 अगस्त, 1947 बिहार की आत्मा में राजनीति बसती है। राजनीति के बिना आप बिहार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। खेत–खलिहान से लेकर मंच और मंचान तक सिर्फ राजनीति। भारत के पौराणिक ग्रंथों रामायण और महाभारत दोनों के कई प्रसंग बिहार से जुड़े हैं। मगध साम्राज्य का केंद्र भी बिहार ही था। महात्मा गांधी के प्रयोग को पहली सफलता और ऊर्जा बिहार से मिली। 1857 के विद्रोह का केंद्र भी बिहार ही था।